राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन पर विशेषज्ञ समिति कि सिफरिशें :-

मेहनतकश जनता के साथ छल–कपट

वर्ष 2017 में वेतन विद्येयक पर संहिता के संसद में पेश किये जाने के बाद, भारत ने, श्रम मंत्रालय के माध्यम से देश के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेन निर्धारित करने का तरीका ज्ञात करने के लिए 17 जनवरी, 2018 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति में, वी वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के फेलो डॉ. अनूप सत्पथी को चेयरमैन तथा श्रम मंत्रालय के वेतन सेल के अधिकारियों को यानि सभी केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों को रखा गया और आइ एल ओ के भारत कार्यालय के भी एक प्रतिनिधि को इसमें शामिल किया गया। मगर, विचित्र लेकिन सरकार के अलोकतांत्रिक व श्रमिक विरोधी चरित्र के अनुरुप मजदूरों के संगठनों के किसी प्रतिनिधि का इस समिति में शामिल नहीं किया गया।

विशेषज्ञ समिति ने जनवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौप दी और लगभग एक महीने के बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और इन सिफारिशों तक पहुँचने के लिए समिति द्वारा की गई समूची कसरत सभी मजदूरों की उचित व जायज आकांक्षाओं के साथ पूरी तरह विश्वासघात है जो समूचे देश के लिए सकल घरेलू उत्पादन (जी डी पी) का सृजन करते हैं। विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के नाम पर (देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए) अकुशल मजदूर के लिए 8893 रु0 से 11,622 रुपये प्रतिमाह तक की राशि की सिफारिश की जो 7वें वेतन आयोग द्वारा आइ एल सी की सिफारिश के आधार से कहीं कम है। वैज्ञानिक तरीके से देश के समूचे मजदूर आंदोलन द्वारा और एक के बाद एक आइ एल सी की न्यूनतम वेतन की माँग को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। विशेषज्ञ समिति द्वारा न्यूनतम वेतन की गणना के लिए खोजा गया फार्मूला और उससे समिति द्वारा निकाला गया न्यूनतम वेतन न केवल 18,000 प्रतिमाह की माँग से कहीं कम है, बल्कि यह मनमाना, बिना किसी वैज्ञानिक आधार के तैयार किया हुआ और भारतीय श्रम सम्मेलनों द्वारा सर्वसम्मति से तय फार्मूले का उल्लंघन भी है, और इसलिए पूरी तरह से खारिज किये जाने योग्य है।

दरअसल, इसकी सन्दर्भ शर्तों समेत विशेषज्ञ समिति की समूची कसरत को सरकार द्वारा अपने कारपोरेट आकाओं के, न्यूनतम वेतन को जितना संभव हो कम से कम रखने के लिए कहने पर, इस तरह के दुराग्रही तरीके को अपनाने को कहा गया ताकि पहले से तय निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।

साजिश और धोखाधड़ी की शुरुआत संदर्भ शर्तों के तय होने से हो गयी थी। समिति, जैसा कि इसकी रिपोर्ट शुरु में ही कहती है, वेतन विद्येयक संहिता के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन ज्ञात करने के तरीके को तैयार करने के लिए गठित की गई। सभी जानते हैं कि भारतीय श्रम सम्मेलन ने जो देश का सबसे उच्च त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें राज्य व केन्द्र सरकारों, नियोक्ताओं संगठनों व ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व होता है, पहले ही अपनी सर्वसम्मत सिफारिश के माध्यम से न्यूनतम वेतन को तय करने के तरीके को स्पष्ट व विस्तार से सामने रखा हुआ है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 के अपने फैसले के माध्यम से , कुछ और आवश्यकता की चीजों को आइ एल सी के द्वारा पहले तय किये तरीके में जोड़ दिया था। इस तरह से न्यूनतम वेतन को तय करने के लिए नये तरीके की गुंजाइश कहाँ बची है। फिर भी समिति की संदर्भ शर्तों में तरीके को ज्ञात करने संदर्भ को शामिल किया गया ताकि समिति कारपोरेट वर्ग और सरकार में बैठे उसके एजेंटों की इच्छानुसार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की गणना में गड़बड़ी व छल –कपट कर सके। और परिणाम सामने है। समिति ने एक अकुशल मजदूर के लिए 8892 रुपये से 11,622

रुपये महीने के राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की सिफारिश की है जिसे जुलाई, 2018 से लागू किया माना जायेगा जो जनवरी, 2016 में सातवें वेतन आयोग द्वारा आइ एल सी की सिफारिश तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर तय तरीके से सुझाये गये 18,000 रुपये महीने से कहीं कम है। विशेषज्ञ समिति द्वारा 2018 में तय वेतन स्तर, सरकार द्वारा 2018 में नियुक्त अन्य समिति के वेतन स्तर से 36 प्रतिशत से अधिक कम हो गया है। क्या वर्ष 2016 से 2018 के बीच मूल्य स्तर पर या मंहगाई इतनी नीचे चली गई है? महान विशेषज्ञ समिति के पंडित और विशेषज्ञ क्या इसका उत्तर देंगे ?

आइ एल सी सिफारिश व सुप्रीम कोर्ट का फैसला

न्यूनतम वेन के निर्धारण के लिए 1957 में 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन, जिसमें भारत सरकार भी एक पक्ष थी, द्वारा सभी बुनियादी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से बनाया गया मापदंड सबसे विस्तारित था। इसके नियम कायदे ऐसे हैं कि एक मजदूर के जरुरत जिसमें न्यूनतम वेतन में मजदूर के परिवार जिसमें पत्नी व दो बच्चे यानी तीन वयस्क इकाईयां की जरुरतें पूरी हो सकें। भोजन की आवश्यकता में 2700 कैलोरीज, 65 ग्राम प्रोटीन व लगभग 45–60 ग्राम वसा(FAT) हो जैसा कि एक सामान्य गतिवीर्त करने वाले भारतीय वयस्क के लिए डॉ. वैलेस आयकायड की सिफारिश है।

15 वें आइ एल सी ने यह भी सुझाया कि कपड़े की आवश्यकता एक औसत मजदूर परिवार के लिए 72 गज 66 मीटर कपड़े के उपयोग पर आधारित होनी चाहिये। आवास के लिए किराया प्रदान करने के लिए सरकार की औद्योगिक आवास योजना के तहत प्रदान किये जाने न्यूनतम क्षेत्रफल को लिया जाना चाहिये। ईधन, बिजली और खर्चे के अन्य मदों के लिए कुल न्यूनतम वेतन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ा जाना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने 1961 में यूनीकाम बनांम राज्य मामले में इस मापदंड को सही ठहराया था। इस प्रकार तय मापदंड है,

(1) एक परिवार जिसमें तीन वयस्क इकाईयाँ हों,

(2) भोजन आवश्कता 2700 कैलोरीज,

(3) 66 मीटर कपड़ा प्रतिवर्ष,

(4) आवास किराया तथा

(5) अतिरिक्त 20 प्रतिशत, बिजली, ईधन आदि के मद में

1991 में रप्ताकोस ब्रेट बनाम वर्कमेन मामले में सुप्रीम कोर्ट एक कदम और आगे गया और कहा कि 15 वें आइ एल सी द्वारा सुझाये पाँच घटकों के अलावा, न्यूनतम वेतन में एक छठा घटक भी शामिल होना चाहिये जो कुल न्यूनतम वेतन का 25 प्रतिशत हो और जो बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन त्योहारों व समारोहों के मद के लिए हे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उपरोक्त छः घटकों वाला वेतन ढाँचा,'' जिंदा रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन से अधिक कुछ नहीं है'' जो मजदूरों को '' हर समय और हर परिस्थितियों '' में अवश्क मिलना चाहिये।

इसके बाद 2012 में 44 वें आइ एल सी ने न्यूनतम वेतन पर सम्मेलन की समिति की निम्नलिखित सिफारिशों को सर्वसम्मति से स्वीकार कियाः

1. यह सर्वसम्मत था कि सरकार 15 वें आइ एल सी (1957) के द्वारा सुझाये गये कायदों / मापदंडों तथा (रप्ताकोस कंपनी बनाम वर्कर्स यूनियन) 1992 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिये गये निर्देशों के अनुसार न्यूनतम वेतन का निर्धारण कर सकती है। सरकार इस बारे में यथानुसार कदम उठा सकती है।
2. इस पर भी एक व्यापक सर्वसम्मति है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम में सभी रोजगारों को लिया जाना चाहिये और केवल अनुसूचित रोजगारों पर ही इसके लागू होने की मौजूदा पाबंदी को हटा दिया जाना चाहिये। इससे भारत को आइ एल ओ के कन्वेंशन सं. 131 पर हस्ताक्षर करने में भी मदद मिलेगी।
3. इस पर व्यापक सहमति है कि देश भर में सभी रोजगारों पर लागू होने वाला एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन होना चाहिये।

44 वें आइ एल सी की सर्वसम्मत सिफारिशों को 45 वें आइ एल सी ने भी सर्वसम्मति से दोहराया, इनमें से 46 वें आइ एल सी का उद्घाटन मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।

विशेषज्ञ समिति ने क्या किया?

क्या विशेषज्ञ समिति के लिए करने को कुछ और काम था सिवाय इसके कि वह मूल्यों के वर्तमान स्तर के आधार पर आइ एल सी की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय किये गये ठोस फार्मूले को गणना के लिए लागू करती और एक मजदूर के परिवार से वास्तविक रहने की जरुरतों के स्तर के हिसाब से वास्तविक आँकड़े पर पहुँचती? ट्रेड यूनियनों द्वारा की गई गणनाओं के अनुसार, न्यूनतम वेतन 2016 में ही 26,000 निर्धारित होना चाहिये था। तब भी जैसी की 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश थी, सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रुप से कम से कम 18000 रुपये की मांग 2016 में की थी।

विशेषज्ञ समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उन्होंने भी कुल मिलाकर आइ एल सी व सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय कायदे व फार्मूले का पालन किया है। शासक वर्गों द्वारा आगे बढ़ायी गई तथाकथित जुमला राजनीति और झूठ ने उनके द्वारा नियुक्त समिति को भी संक्रमित किया है। वास्तविक कवायद करते हुए, समिति ने कारपोरेट आकाओं को संतुष्ट करने के लिए उन्हें दिये गये काम के सभी पहलुओं में बहुआयामी विकृतियों और गड़बड़ियों का सहारा लिया।

पहले तो समिति ने प्रति परिवार भोजन आवश्यकता की गणना करते हुए बड़े ही मनमाने ढंग से आइ एल सी द्वारा तैयार आवश्यक कैलरी स्तर को 2700 से घटाकर 2400 कर दिया। विशेषज्ञ समिति के पंडितों के अनुसार मजदूर कम कैलरी उपयोग करेंगे जैसाकि उन्हें 1993– 2012 के दौरान मजदूरों के उपयोग के रुझानों से पता चला था।

क्या इससे अधिक आपराधिक भी कुछ हो सकता है? क्या कोई न्यूनतम समझदारी रखने वाला व्यक्ति भारत के मजदूरों के लिए, जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्ट्टयूट (आइ एफ पी आर आइ) के द्वारा हर वर्ष प्रकाशित होने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों में 100 वें स्थान पर है और जिसके मजदूर हमेशा से कुपोषित व भूख के मारे हैं, उनके लिए कैलरीज की आवश्यकता को कम कर सकता है?

दूसरे, उन्होंने 7 वें वेतन आयोग की तुलना में सभी बुनियादी खाद्य सामानों व ईधन की कीमत को भी मनमाने ढंग से अत्यधिक कम कर दिया है। उदाहरण के लिए, चावल व गेहूं के उत्पादों की कीमत जहाँ 7 वें वेतन आयोग ने 25.93 रुपये /प्रति किलो रखी थी उसे तथा कथित विशेषण समिति की न्यूनतम वेतन सिफारिश के लिए घटाकर 20.40 रुपये कर लिया गया। इसी प्रकार दालों के लिए, क्रमशः 97.84

रुपये/प्रति कि0 व 56.50 रु0/प्रति किलो, सब्जियों के लिए 43.57 रु0 प्रति किलो व 14.30 रु0 प्रति किलो, मछली व माँस के लिए औसत मूल्य क्रमशः 356 रु0/प्रति किलो व 121 रु0 प्रति किलो, दूध के लिए मूल्य क्रमशः 37.74 रु0 प्रति लीटर व 28.30 रु0 प्रति लीटर आदि,आदि। आवास के लिए विशेषज्ञ समिति ने अनुमानित खर्च केवल 1430 रुपये/ प्रतिमाह रखा है। क्या विशेषज्ञ समिति का कोई भी सदस्य देश के किसी भी कोने में किसी नगर जहाँ देश के किसी भी इतने पैसे मेंएक कमरा भी किराये पर लेकर दिखा सकता है? इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ एक ओर जानबूझकर भोजन की आवश्यकता को घटाने की कोशिश की गई है वहीं दूसरी ओर वस्तुओं की कीमतों को जानबूझकर कम कर के दिखाया गया है।

बड़े शर्म की बात है कि विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में नोट किया है कि उन्होंने परिवार खर्च की गणना 2012 के मूल्यों के आधार पर जिसे, बताया गया है कि औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के राष्ट्रीय औसत उपयोग कर जुलाई 2018 के लिए अद्यतन कर लिया गया।

क्या इसके पीछे कोई तर्क या विवेक है कि 2018 में पैदा हुई कमेटी ने न्यूनतम वेतन तय करने हेतु परिवार के खर्च की गणना के लिए 2012 के मूल्यों को आधार बनाया जिसे धोखाधड़ी वाले मूल्य सूचकांक के आधार पर कुछ दिखायी बदलावों के बाद जुलाई 2018 से मजदूरों के लिए लागू किया जाना है। इसके पीछे एक ही प्रेरणा है और वह है न्यूनतम वेतन को कम से कम रखने के लिए परिवार के न्यूनतम खर्च को कम करके दिखाना।

मजदूरों के परिवारों की भोजन की न्यूनतम आवश्यकता को कम से कम करने के लिए किस हद तक शैतानी कवायद की गई है इसका पता विशेषज्ञ समिति की गणनाओं की तुलना 7 वें वेतन आयोग द्वारा की गई गणनाओं से करने पर चलता है। सावतें वेतन आयोग ने तीन वयस्क उपभोक्ता इकाईयों वाले एक मजदूर परिवार का 2700 कैलरीज के आधार पर जनवरी 2016 में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में 2012 के मूल्य स्तर पर इसे निर्दयता पूर्वक काटकर 3672.90 रुपये कर दिया गया जो तथा कथित अद्यतन के बाद जुलाई 2018 के लिए 5582.80 रुपये बनता है यानी 7 वें वेतन आयोग की तुलना में 30. 4 प्रतिशत की कमी और वह भी 2 वर्षों के अन्तराल के बाद।

यहाँ यह ध्यान देना मजेदार है कि विशेषज्ञ समिति ने भोजन व अन्य आवश्यकताओं की गणना करते हुए समय भारी उदारता दिखाते हुए औसत परिवार के आकार को बढ़ाकर 3.6 उपयोग इकाईयों तक कर दिया। तब भी, विशेषज्ञ समिति द्वारा 2018 के लिए भोजन का अनुमानित खर्च 7 वें वेतन आयोग द्वारा दो वर्ष पूर्व 2016 में लगाये गये वास्तविक अनुमान का एक तिहाई ही बनता है। इस प्रकार पूरी कवायद में छल–कपट का पूरी तरह से भंडाफोड़ हो जाता है।

भोजन खर्च की आवश्यकता को इतना कम रखने के पीछे विशेषज्ञ समिति के अन्य निश्चित मंतव्य भी रहे हैं। आइ एल सी सिफारिश के अनुसार, भोजन की आवश्यकता के अलावा, ईंधन, बिजली आदि की अन्य जरुरतों को भी तो भोजन पर खर्च के प्रतिशत (20 प्रतिशत) के रुप में निकाला जाना होता है। यही नहीं,सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरुप शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के मद में होने वाले खर्च को कुल न्यूनतम वेतन के 25 प्रतिशत के रुप में निकाला जाता है। इस तरह भोजन खर्च का कार्य करती है जिसे विशेषज्ञ समिति को नियुक्त करने वाले आकाओं के निर्देश पर कमेटी ने इतना नीचे रखा है ताकि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन को कम से कम रखा जा सके।

जनता के साथ छल–कपट व धोखा

इसके आलावा राष्ट्रीय वेतन की अवधारणा अलग–अलग क्षेत्रों के लिए अलग–अलग नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन यह सबसे कम वेतन स्तर है जिससे कम वेतन निर्धारण की इजाजत किसी भी राज्य को नहीं दी जानी चाहिये। देश के अलग–अलग भागों में मूल्यों के स्तर में अंतर को सभी क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा नियमित रुप से भत्ता तय कर दूर किया जा सकता है। इस पर भी कमेटी ने उसे सौंपे गये कार्य का अलग–अलग क्षेत्रों के लिए अलग–अलग राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय कर, मजाक बना दिया। मूर्खता और बेईमानी की कोई सीमा नहीं होती।

सार यह है कि मोदी सरकार द्वारा संसद में बड़े धूम–धड़ाके के साथ घोषणा के बाद उसके द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की समूची कसरत दरअसल मेहनतकश जनता के साथ एक छलकपट व धोखा है। उनकी मुख्य कोशिश देश के ज्यादातर हिस्से में न्यूनतम वेतन को 8892 रुपये तक कम रखना है। और उन्होंने ऐसे आपराधिक कृत्य को पूरा करने हेतु चार तरीके आजमाये; पहला यह कि उन्होंने कैलरी आवश्यकता को 2700 से घटाकर 2400 कर दिया जो आइ एल सी की सिफारिश व सुप्रीम कोर्ट के फैसले का घोर उल्लंघन है और ऐसा तब जब सुप्रीम कोर्ट ने 2700 कैलरी की आवश्यकता को '' जिन्दा रहने लायक स्तर'' का वेतन कहा है; दूसरे तरीके में परिवार की आवश्यकता की सभी चीजों के दामों को मनमाने ढंग से, 2018 के लिए न्यूनतम वेतन की गणना के लिए 2012 के स्तर को अपनाकर अत्यधिक कम कर दिया; तीसरे आवास के खर्च को न समझ में आने वालों, बहुत ही कम करके ऑकना जो अव्यावहारिक है; और चौथा, गैर खाद्य खर्चों जैसे कपड़े ईंधन, बिजली, बच्चों की शिक्षा चिकित्सा, मनोरंजन, त्योहार एवं सामारोहों पर खर्च की गणना के लिए 15 वें आइ एल सी की सिफारिश व इन मुद्दों पर बाद में आये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज कर पूरी तरह से अलग तरीका अपनाया।

कुल मिलाकर, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन पर मोदी सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने तमाम पेशेवर अंखडता को द्यता बताते हुए मेहनतकश जनता के प्रति एक गंभीर अपराध किया है। यह, देश के जी डी पी, राष्ट्रीय खजाने के लिए संसाधन और सत्ता में बैठी सरकार के कारपोरेट आकाओं के लिए मुनाफे पैदा करने वाले मेहनतकशों का अपमान है। इसे, और इसके साथ ही शासन में बैठे इसके लिए जिम्मेदार धोखेबाजों को पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिये। मार्च, 2019

दूसरे परिपत्र का हिन्दी अनुवाद शीघ्र भेजा जाएगा। कृपया इसे प्रचार अभियान में इस्तेमाल करें